दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या . Plexh/Cir/ 532
दिनांक : 22.10.2026

को,
Plexconcil के सभी सदस्य/COA सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत-न्यूजीलैंड FTA लागू होना

हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है।

इस एग्रीमेंट के फ़ायदे ये हैं:

- इस FTA से न्यूज़ीलैंड का USD 2.7 बिलियन का प्लास्टिक इम्पोर्ट मार्केट खुल गया है, जिसमें भारत का हिस्सा मुश्किल से 0.9% है।
- इससे वेस्ट एशिया और हाई टैरिफ वाली जगहों जैसे मुश्किल इलाकों से एक्सपोर्ट को अलग-अलग तरह से करने का मौका मिलता है।
- इस समझौते के लागू होने की तारीख से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी।
- इस एग्रीमेंट से भारत को चीन, ASEAN, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान के मुकाबले अभी जो टैरिफ का नुकसान हो रहा है, वह खत्म हो गया है, जिन्हें न्यूज़ीलैंड में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है।

सदस्य इस एग्रीमेंट से जुड़े सभी चैप्टर देख सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ़ ओरिजिन वाला चैप्टर भी शामिल है, नीचे दिए गए लिंक से। यह लिंक आपके रेफरेंस के लिए काउंसिल के होम पेज पर भी अपलोड किया गया है।

https://www.commerce.gov.in/?t arget_lang=en#/international-t rade/trade-agreements/agreemen t-of-india-nz-fta

साभार
भारती परावे
निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल